प्र.सं. 09/2012 अपील

ईशरराम बनाम ग्राम पंचायत मालसर आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
05.01.2021	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर इन्तकाल सं. 221 दिनांक 20.03.2012 ग्राम पंचायत मालसर जिसकी रूह से चक 4 एमएसडी का मु.नं. 4 प.नं. 150/337 के 1.240है. अनकमाण्ड व मु.नं. 10 प.नं. 151/338 के 4.985है. कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला कुल 6.189है. कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया हैं निरस्त कर विवादित भूमि का इन्तकाल बरूवे वसीयतनामा अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट सं. 4 के नाम किये जाने एवं शेष जमीन का विरास्तन इंतकाल किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। अपील प्रकरण से संबंधित समान पक्षकारों के बीच समान तथ्यों पर आधारित एक समान विषयवस्तु एवं अनुतोष का वाद प्र.सं. 76/2012 अनवान ईशरराम बनाम भागीरथ आदि अन्तर्गत धारा 88—92ए—188 आरटीएक्ट न्यायालय में विचाराधीन हैं जो कि साक्ष्य वादी हेतु नियत हैं। अतः अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट के मध्य विवादित भूमि के खातेदारी अधिकारों का निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्यों के आधार पर किया जाना न्यायसंगत हैं। चूंकि अपील एवं वाद पत्र एक समान विषयवस्तु पर आधारित हैं तथा दोंनों में चाहा गया अनुतोष भी समान हैं ऐसी स्थिति में वाद के निर्णय तक अपील प्रकरण में कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपील प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जाती हैं। मूल वाद में किया गया निर्णय ही अपील प्रकरण पर प्रभावी होगा। अपील प्रकरण को मूल वाद के संलग्न किया जाकर अपील प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित की जा[illegible] ग्राम पंचायत को मूल रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश [illegible] गया। अपील प्रकरण फैंसले [illegible] संलग्न रहे। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:13:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner